न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : (1577/17) 111/19

–:: प्रार्थी ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

1. चौथाराम दत्तक पुत्र रामपाल जी जाति–बावरी, निवासी–कांवलिया खुर्द, तहसील–जैतारण।

1. रामपाल पुत्र चुनाराम जाति–बावरी निवासी–कांवलिया खुर्द, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।
2. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील कार्यालय, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 14/07/2017

उपस्थितः–

1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, किशोर कुमावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 12/03/2020

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा कांवलिया खुर्द में सायल व गैर सायल संख्या 01 के रहवासी मकान संजेड़ा की ढाणी में बने हुए है तथा इनकी खातेदारी की जमीन भी संजेड़ा की ढाणी के पास ही निम्नलिखित खसरान की आई हुई है। खसरा नंबर 582 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 710 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 714 रकबा 18 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उपरोक्त मुतनाजा भूमि में सायल व गैरसायल संख्या 01 के 1/3 हिस्सा आता है इसी माफिक मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है एवं 1/3 हिस्सा गणपतराम, नौरतमल का व 1/3 हिस्सा महाराम खातेदार काश्तकार अपने अपने हिस्से की जमीन पर काश्त करते आ रहे है प्रतिवादी 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है गैरसायल की जमीन पर वादी ही कब्जा व काश्त करता आ रहा है सायल बाल्यवस्था से बतौर दत्तक पुत्र के गैरसायल संख्या 01 के पास रहता आया है गैरसायल व इनकी पत्नी की सेवा चाकरी भरण पोषण सायल ही करता आ रहा है गैर सायल संख्या 01 ने दिनांक 10.08.2010 को वादी को गोद लेने का गोदनामा का पंजीयन उप पंजीयन अधिकारी जैतारण से करवाया गया। गैरसायल संख्या 01 लोगों के सिखावे में आकर आज से 01 माह पहले सायल को एलानिया कहा कि मैं तुझे गोद नहीं रखुगा किसी दूसरे को गोद लूगा तब वादी ने कहा कि मैं आपकी सेवा चाकरी कर रहा हूं तथा किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दे रहा हूं दूसरे को गाद लेने का

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

क्या कारण है फिर गैरसायल ने कहा कि मैं उक्त जमीन का बैचान, बख्शीश, रहन, वसीयत आदि करूंगा और दिनांक 10.08.2010 को किया गया रजिस्टर्ड गोदनामा को नहीं मानता तब सायल ने अपने परिवार वालो को इक्ट्ठा किया और गैरसायल को समझाया लेकिन गैरसायल ने साफ इन्कार कर दिया कि चौथाराम को गोद नहीं रखूंगा जबकि सायल गैरसायल के आपस में कोई विवाद नहीं है। चौथाराम जायन्दा पुत्र घीसाराम का था। लेकिन गैरसायल के गोद जाने पर घीसाराम की जमीन में से अपने हिस्से की जमीन अपने संगे भाई गणपतराम, नौरतराम के पक्ष में हकतर्क करवा दिया ताकि सायल का नाम दोनों जगह राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हो। गैरसायल की नियम में फर्क आ गया और उक्त अपने 1/3 हिस्से की भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान, बख्शीश, रहन, वसीयत करने पर आमादा है यदि गैर सायल ने अपने 1/3 हिस्से की जमीन का बैचान कर दिया तो सायल भूमिहीन हो जायेगा और वादी के भरण पोषण का कोई साधन नहीं रहेगा। एवं सायल व सायल के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। उक्त आराजी सायल की पैतृक पुश्तैनी होने व शपथपत्र व दस्तावेजात व मौके पर कब्जा काश्त से सायल के पक्ष में बहुत ही मजबूत प्रथमदृष्टतया मामला है तथा दिनांक 10.07.2017 को सायला द्वारा गैरसायलान को किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान हस्तांतरण नहीं करने का कहने पर गैर सायलान द्वारा स्पष्ट इन्कार हुए व किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बैचान रहन वसीयत आदि करने की एलानिया धमकी दी यदि गैरसायल उक्त आराजी का किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान, बख्शीश, रहन, वसीयत कर देगा तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति गैरसायलान किसी सूरत में अदा नहीं कर सकेंगे व विविध प्रकार की की मुकदमें बाजी होगी। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी एवं मौके पर सायलान का कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बहुत ही मजबूत है। इसलिए गैरसायलान को उक्त आराजी बैचान रहन वसीयत आदि करने एवं सायलान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा, अड़चन आदि करवाने से गैर सायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो सामिल मिसल है।

अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 का जवाब है कि इस पद में वर्णित आराजी कांवलिया खुर्द में स्थित है जो आराजी सायल की नहीं होकर के गैरसायल संख्या 01 के हक व अधिकार की है तथा वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में भी गैरसायलसंख्या 01 का 1/3 हिस्सा इन्द्राज है तथा मौके पर कब्जा काश्त जवाब देहन्दा का हीहै। इन तथ्यो के अलावा अन्य तथ्यों को मनगढन्त होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि गैरसायल बुर्जग व्यक्ति जरूर है लेकिन मौके पर कब्जा काश्त जवाब देहन्दा का

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

है सायल का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। तथा सायल ने गैरसायल के साथ धोखा करके गलत गोदनामा तकमील करवा लिया एवं गोदनामा करवाने का एकमात्र उदेश्य गैरसायल की जमीन को हड़प करना था। तथा सायल गोदनामें के बाद एक दिन भी जवाब देहन्दा व उसकी पत्नी की सेवा नहीं की उल्टा जवाब देहन्दा व उसकी पत्नी के साथ धक्का मुक्की कर घर से बाहर निकालने से कोशिश की। जिसपर जवाब देहन्दा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट कर सायलको पाबन्द भी करवाया था। अन्य तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 का जवाब है कि सायलने जवाबदेहन्दा के बुढापा का फायदा उठाकर पेंशन चालू करवाने का कहकर धोखे से गोदनामा तकमील करवा दिया। एवं उसके बाद जवाब देहन्दा को उसके हक हिस्से की आराजी से बेदखल करने लगा तब जवाब देहन्दा को गोदनामें की जानकारी हुई तथा जानकारी होते ही गोदनामें को निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र सिविल न्यायालय में पेश कर दिया, जो विचारणीय है। तथा सायल का एकमात्र उदेदश्य गोदनामे की आड़ में जवाब देहन्दा को मौके से बेदखलकर जमीन हड़प करना है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों दस्तावेजात व मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर प्रथमदृष्टतया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में बखुबी साबित है। तथा फर्जी व कुटरचित गोदनामे के आधार पर सायलगैरसायल की सम्पति में दखलन्दाजी करता है अपूर्णीय क्षति गैरसायल को होगी। क्योंकि गैरसायल की आय का एकमात्र जरिया वादग्रस्त आराजी है। अतःजवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र का निपटारा हम निम्न बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर करना उचित समझते हैं।

1- **प्रथमदृष्टतया मामलाः-** इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथमदृष्टतया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथमदृष्टतया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र तथा राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों के आधार पर यह है कि सरहद मौजा-कांवलिया खुर्द, पटवार हल्का-कांवलिया कला तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 582 रकबा 26-10 बीघा, खसरा नंबर 710 रकबा 05-03 बीघा तथा खसरा नंबर 714 रकबा 18-06 बीघा के 1/3 भाग का अप्रार्थी संख्या 01 रिकोडेड खातेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 के पंजीकृत गोदनामे के आधार पर अस्थाई व्यादेश की मांग की है। तथा प्रार्थी ने स्थाई व्यादेश दावा 188 राजस्थान

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

अस्थाई व्यादेश की मांग की है। तथा प्रार्थी ने स्थाई व्यादेश दावा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का किया है, जबकि प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है।

अतः प्रार्थी ने केवल गोदनामे के आधार पर अस्थाई व्यादेश की मांग की है जबकि वह रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। अतः इस स्थिति में प्रथमदृष्टतया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2– सुविधा का सन्तुलनः– अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो वादी/प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी का रिकॉडेड खातेदार नहीं है। साथ ही वादी/प्रार्थी ने यह नहीं बताया है कि उसका वादग्रस्त आराजी के 1/3 भाग में कब्जा किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। उसे स्पष्ट करने में प्रार्थी सफल नहीं हुआ है। अतः सुविधा का संतुलन को अपने पक्ष में साबित करने में प्रार्थी पूर्णतया असफल रहा है।

3:– अपूरणीय क्षतिः– हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रार्थी, अप्रार्थी रामपाल का जायन्दा पुत्र नहीं होने तथा वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त प्रकरण में संबंध में हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रथमदृष्टतया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश को अस्वीकार/खारिज करना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भलीभांती साबित नही होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,जैतारण
जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 12/03/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,जैतारण
जिला–पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2020.04.11 12:39:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: